प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 23.12.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 23.12.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 23.12.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र में भ्रमण कर बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में किया गया जागरुक-

शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वावलंबी, सशक्त बनाने और सुरक्षित माहौल प्रदान करने तथा उनके अधिकारों के सम्बंध में उनको जागरूक करने व उनके साथ घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम तथा उनमें सुरक्षा/आत्मविश्वास की भावना जागृत करने के उद्देश्य से समग्र अभियान ''मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान'' चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 23.12.2024 को नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की शक्ति दीदी/महिला बीट आरक्षियों/एण्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत स्कूल/कालेज/बीट/गांव आदि में जाकर मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत जागरुकता कार्यशाला एवं चौपाल लगाकर बालिकाओं एवं महिलाओं की शिकायतों एवं समस्याओं की सुनवाई की गयी तथा "मिशन शक्ति फेज-05" के सम्बन्ध में सभी बालिकाओं/महिलाओं को जागरूक किया गया, उनकी समस्याओं को सुनते हुए उन्हें मनचलों, अराजक तत्वों से निपटने तथा आत्मरक्षा करने के लिए आवश्यक आत्मरक्षात्मक गुण सिखाये गये इसके साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस एव शासन द्वारा बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता हेतु संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे- 1090-वुमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076–मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा, साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण से संबंधित उ0प्र0 शासन की विभिन्न योजनाओं व प्राथमिकताओ के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित कर जागरूक किया गया।

महोबा पुलिस

जनपदीय एसओजी एवं थाना कोतवाली नगर महोबा की संयुक्त पुलिस टीम ने चोरी की 02 घटनाओं का किया सफल अनावरण, चोरी करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के 02 नफर शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 02 लाख 10 हजार ₹ नगद, करीब 4.5 लाख रु. की पीली धातु, 1.5 लाख रु. की सफेद धातु के आभूषण सहित चोरी की घटना में प्रयुक्त औजार किए गए बरामद-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपद महोबा में चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने व ऐसी घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किये हेतु जनपदीय पुलिस टीमों द्वारा अपराधियों की धरकपड हेतु अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 23.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय एसओजी व थाना कोतवाली नगर महोबा की संयुक्त पुलिस टीम ने जनपद महोबा में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 02 नफर शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जनपद महोबा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में घटित 02 चोरियों का सफल अनावरण किया है।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्र में चोरी की घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 666/24 तथा 657/24 धारा 303(2)317(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके सफल अनावरण के लिए संयुक्त पुलिस टीमे लगातार प्रयासरत थी जिसके क्रम में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य सबूतों/गवाहों के आधार पर उक्त चोरी की घटना में संलिप्त प्रकाश में आये 02 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.दीपक अहिरवार पुत्र पंचम लाल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी नया प्राइवेट बस स्टैण्ड के पास होटल मीरा हेरिटेज के पीछे थाना को0नगर महोबा 2.चरन सिंह अहिरवार पुत्र सुम्मी अहिरवार उम्र करीब 24 वर्ष नि0 ग्राम देवथा थाना अलीपुरा जिला छतरपुर (म0प्र0) को मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के पठा रोड के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, इस दौरान अभियुक्तों के कब्जे से क्रमशः मु0अ0सं0 657/24 से सम्बन्धित पीली धातु 1.700 ग्राम, सफेद धातु 815 ग्राम व 20 हजार रूपये नगद व मु0अ0सं0 666/24 से सम्बन्धित पीली धातु 53.70 ग्राम, सफेद धातु 930 ग्राम व 01 लाख 90 हजार रूपये नगद सहित घटना में प्रयुक्त औजार की भी बरामदगी करते हुए जनपद में घटित 02 चोरियों का सफल अनावरण किया गया है। अभियुक्तों की **गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 331(4)/317(2) बीएनएस की बढोत्तरी** गई है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों की दोस्ती जेल में हुई थी, अभियुक्त चरन अहिरवार ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं छतरपुर जेल से छूटा हूं। छूटने के बाद हम लोगों ने मिलकर चोरी की योजना बनाई। उसके बाद हम लोगों ने एक साथ मिलकर 12/13 दिसम्बर 2024 की रात में बिलबई चुंगी के पास एक पंडित जी के घर में घुसकर ताला तोड़कर पहली चोरी की थी, उसके बाद दूसरी चोरी हम लोगों ने दिनांक 17 दिसंबर 2024 की रात को जेल के पीछे सुभाष नगर अवस्थित एक घर में घुसकर ताला तोड़कर की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. दीपक अहिरवार पुत्र पंचम लाल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी नया प्राइवेट बस स्टैण्ड के पास होटल मीरा हेरिटेज के पीछे थाना को0नगर महोबा
2. चरन सिंह अहिरवार पुत्र सुम्मी अहिरवार उम्र करीब 24 वर्ष नि0 ग्राम देवथा थाना अलीपुरा जिला छतरपुर (म0प्र0)

माल बरामदगी...

1. मु0अ0सं0 657/2024 से संबंधित पीली धातु 1.700 ग्राम, सफेद धातु 815 ग्राम व 20 हजार रूपये नगद
2. मु0अ0सं0 666/24 से संबंधित पीली धातु 53.70 ग्राम, सफेद धातु 930 ग्राम व एक लाख नब्बे हजार रूपये। चोरी की घटना में प्रयुक्त 01 अदद पेचकस व 01 अदद प्लास

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 23.12.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीमः-

थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर, श्री अर्जुन सिंह
2. उ0नि0 श्री सुजीत कुमार जायसवाल 3. श्री उ0नि0 गौरव चौबे
4. उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार 5. उ0नि0 श्री विवेक कुमार यादव 5. हे0का0 मुजीब अहमद

जनपदीय एसओजी टीम-

1. उ0नि0 श्री शिवप्रताप सिंह
2. कां0 रंजीत सिंह 3. कां0 आशीष बघेल 4. कां0 निर्भय सिंह
5. कां0 दीपक वर्मा 6. कां0 कुलदीप यादव 7. कां0 सत्यम सिंह जादौन

बरामदगी विवरण-

मु0अ0सं0 657/24 से संबंधित माल-

- 01 अदद अंगूठी पीली धातु वजन 1.700 ग्राम
- 13 नग सिक्के सफेद धातु कुल 266 ग्राम, 10 नग चूड़ी सफदे धातु कुल वजन 134 ग्राम, 06 जोड़ी पायल सफेद धातु कुल वजन 220 ग्राम, 17 नग फुटकर मीना सफेद धातु कुल वजन 38 ग्राम, 05 जोड़ी बिछिया सफेद धातु कुल बजन 52 ग्राम व 01 अदद कमरपेटी सफेद धातु वजन करीब 105 ग्राम (कुल वजन सफेद धातु 815 ग्राम)
- 20 हजार रुपये नगद।

मु0अ0सं0 666/24 से संबंधित माल-

- 03 हार पीली धातु, 01 जोड़ी झुमका पीली धातु, 01 लड़ी पीली धातु, कुल वजन 53.700 ग्राम।
- पायल सफेद धातु 10 जोडी कुल वजन 543 ग्राम, हाथफूल सफेद धातु 01 जोड़ी वजन 80 ग्राम, गुच्छा सफेद धातु 02 अदद वजन 37 ग्राम, कमरपेटी सफेद धातु 01 अदद वजन 171 ग्राम (कुल वजन सफेद धातु 930 ग्राम)
- 01 लाख 90 हजार रुपये नगद

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त दीपक अहिरवार पुत्र पंचम लाल उम्र करीब 22 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 346/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना कबरई जनपद महोबा
2. मु0अ0सं0 503/22 धारा 380/411भादवि थाना कोतवाली नगर महोबा
3. मु0अ0सं0 508/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली नगर महोबा
4. मु0अ0सं0 584/2020 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली नगर महोबा
5. मु0अ0सं0 617/2020 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर महोबा
6. मु0अ0सं0 119/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना श्रीनगर जनपद महोबा
7. मु0अ0सं0 666/2024 धारा 305A/331(4)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर महोबा,
8. मु0अ0सं0 657/2024 धारा 305A/331(4)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर महोबा।

अभियुक्त चरन सिंह अहिरवार पुत्र सुम्मी अहिरवार उम्र करीब 24 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 01/2024 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना मऊरानीपुर झांसी,
2. मु0अ0सं0 183/2023 धारा 380/411/413/414/457 भादवि थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी,
3. मु0अ0सं0 145/2023 धारा 380/411/413/414 भादवि थाना मऊरानीपुर झांसी,
4. मु0अ0सं0 164/2023 धारा 380/411/413/414 भादवि थाना मऊरानीपुर झांसी,
5. मु0अ0सं0 169/2023 धारा 307 भादवि थाना मऊरानीपुर झांसी,
6. मु0अ0सं0 170/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊरानीपुर झांसी ,
7. मु0अ0सं0 628/2022 धारा 380/411/413/414/457 भादवि थाना मऊरानीपुर झांसी,
8. मु0अ0सं0 87/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण 1986 थाना अजनर,
9. मु0अ0सं0 157/2020 धारा 380/411/457 भादवि थाना अजनर महोबा ,
10. मु0अ0सं0 158/2022 धारा 380/411/413/457 भादवि थाना अजनर महोबा,
11. मु0अ0सं0 197/2020 धारा 380/411/457 भादवि थाना अजनर महोबा,
12. मु0अ0सं0 209/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण 1986 अजनर
13. मु0अ0सं0 114/2020 धारा 380/411/457 भादवि थाना श्रीनगर जनपद महोबा,
14. मु0अ0सं0 666/2024 धारा 305A/331(4)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर महोबा,
15. मु0अ0सं0 657/2024 धारा 305A/331(4)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर महोबा।
16. मु0अ0सं0 315/24 घारा 331(4)/305(ए) बीएनएस थाना गढीमलहरा जनपद छतरपुर म.प्र.।

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनपद महोबा में उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा- 2023 की लिखित परीक्षा के अगले चरण के लिए होने वाली DV/PST परीक्षण प्रक्रिया के दृष्टिगत पुलिस लाइन महोबा का किया गया भ्रमण, समस्त व्यवस्थाओं का अवलोकन कर सभी कार्यवाहियां समय से पूर्ण किये जाने के दिए गए निर्देश-

आज दिनांक- 23.12.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा- 2023 की लिखित परीक्षा के अगले चरण के लिए अर्ह अभ्यर्थियों की दिनांक- 26.12.2024 से होने वाली DV/PST परीक्षण प्रक्रिया को सुचितापूर्ण एवं निष्पक्षता पूर्ण ढंग से निर्विघ्न वातावरण में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत रिजर्व पुलिस लाइन पहुंच कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा उ.प्र. पुलिस भर्ती के तहत होने वाली DV/PST परीक्षण प्रक्रिया के लिए बनाये जा रहे होल्डिंग एरिया, नोटिस बोर्ड, भर्ती से सम्बन्धित स्टैण्डर्ड मानक बोर्ड लगाये जाने, सुरक्षा के दृष्टिगत प्रवेश एवं निकास द्वार में सीसीटीवी कैमरों को स्थापित किये जाने, कण्ट्रोल रुप की स्थापना किये जाने सहित अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं जैसे उनके बैठने, पीने का पानी, शौचालय इत्यादि व्यवस्थाओं को समय से पूरा किये जाने के निर्देश दिए गये हैं, जिससे उक्त DV/PST परीक्षण प्रक्रिया को सुचितापूर्ण एवं निष्पक्षता पूर्ण ढंग से निर्विघ्न वातावरण में सकुशल सम्पन्न करायी जा सके।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवकुमार, पीआरओ श्री अरविन्द सिंह गौर, भर्ती बोर्ड एवं संचालन सिमित के सदस्य सहित अन्य अधि. मौजूद रहे।

||सर्वसिद्धिप्रदः कुम्भः|| महाकुम्भ प्रयागराज 2025

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 23.12.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

साइबर क्राइम थाना महोबा द्वारा मां0 चन्द्रिका महिला महाविद्यालय में साइबर अपराध के प्रति जागरूक करने व इससे बचाने हेतु साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर साइबर अपराध के प्रति स्कूली छात्राओं को किया गया सचेत-

साइबर अपराधों पर रोक-थाम तथा प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में साइबर अपराध के विरूद्ध चलाये जा रहे जनजागरूकता अभियान के तहत आज दिनांक- 23.12.2024 को साइबर क्राइम पुलिस थाना प्रभारी निरीक्षक फहीम अख्तर व उनकी टीम द्वारा पर अधिक से अधिक व्यक्तियों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक जागरूक करने व उनकी गाढ़ी कमाई को बचाने के लक्ष्य के तहत साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बताया गया की कभी भी किसी के साथ अपने खातों की डिटेल शेयर ना करें अंजान लिंक को कभी ना खोलें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेहद सावधानीपूर्वक करें अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन सुरक्षित स्थान पर रखें। डिजिटल अरेस्ट, कलर ट्रेडिंग, एटीएम फ्राड, यूपीआई फ्राड, सोशल मीडिया अपराध, लोन फ्राड आदि के बारे में विस्तार से सभी को अवगत कराते हुए बताया गया कि किसी भी प्रकार की साइबर क्राइम सम्बन्धी शिकायत को दर्ज करने हेतु नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के टोल फ्री नं0 1930 या 112 डायल करे या अपने बैंक को घटना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये नजदीकी थाने या जनपदीय साइबर क्राइम पुलिस थाना में भी सम्पर्क करे।

साइबर जागरुकता के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य–

- किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें।
- साइबर अपराधों से बचने के लिए, अपने पासवर्ड, पिन, पैटर्न, या बायोमेट्रिक जानकारी दूसरों को न दें.
- अपने मोबाइल और कंप्यूटर में ऐप्लिकेशन केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही इंस्टॉल करें.
- फ़र्ज़ी सोशल मीडिया अकाउंट से सावधान रहें.
- अपने मोबाइल और कंप्यूटर की सर्विसिंग, मरम्मत या बिक्री के लिए देते समय सावधान रहें.

यदि आप किसी फ्राड के शिकार हो गए हैं तो इसकी शिकायत https://www.cybercrime.gov.in/ पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें या 1930 पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन से संपर्क कर भी शिकायत कर सकते है।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 23.12.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मा0 जिला जज, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा संयुक्त रुप से उपकारागार महोबा का निरीक्षण किया गया, जेल में निरुद्ध बंदियों से वार्ता कर दिये गये आवश्यक निर्देश-

आज दिनांक- 23.12.2024 को मां0 जिला जज महोबा श्री जय प्रकाश यादव, जिलाधिकारी महोबा श्री मृदुल चौधरी व पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल द्वारा संयुक्त रुप से उपकारागार महोबा का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान शीतऋतु के दृष्टिगत बन्दियो के लिये मूलभूत सुविधाओं सम्बन्धी सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उपकारागार में निरुद्ध बंदियों के आवासीय बैरक, भोजनालय, हॉस्पिटल आदि का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान जेल में निरुद्ध कैदियों-बंदियों से उनके स्वास्थ्य एवं ठण्ड से बचाव हेतु पर्याप्त कम्बल की व्यवस्था, मेस में बन रहे भोजन के संबंध में जानकारी लेते हुए भोजन की गुणवत्ता की जांच की गयी। जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक करते हुए इसके संचालन के संबंध में जेल अधिकारी को निर्देशित किया कि सीसीटीवी के संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। इसके अलावा पुरुष एवं महिला बैरक, अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया, जिसके क्रम में उन्होने जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि जेल परिसर और बैरकों में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाये और नियमानुसार बंदियों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जायें। सभी कैदियों की समय-समय पर काउंसिलिंग कराएं जिससे उनकी जीवन शैली में अपेक्षित सुधार लाया जा सके।